File No......................

श्री माता प्रसाद माता भीख इण्टर कालेज, मीरजापुर

१९७६

हाई स्कूल

संख्या १८० ....   दिनांक २४-६-७६..................

परिषद् द्वारा संचालित १९७६ की हाई स्कूल परीक्षा में संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित [illegible]
....अनुक्रमांक [illegible] द्वारा प्राप्तांकों का विवरण   वर्ग का नाम [illegible]

परीक्षार्थी द्वारा लिये गये विषयों के नाम	विषय के लिये निर्धारित अंक	प्रथम प्रश्न पत्र	द्वितीय प्रश्न पत्र	तृतीय प्रश्न पत्र	चतुर्थ प्रश्न पत्र	योग	क्रियात्मक विषय प्रथम	क्रियात्मक विषय द्वितीय	क्रियात्मक विषय योग	कुल योग	परीक्षाफल (इस स्तम्भ की अनावश्यक प्रविष्टियां काट दी जाँय)
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
(१) हिन्दी	१००	१५	१५	१२		४२				४२	उत्तीर्ण श्रेणी तीन
(२) गणित/गृह विज्ञान	१००	१५	२०			३५				३५	विशेष योग्यता ✗
(३) विज्ञान	१००	०६	१०			१६	१४		१४	(३०)	कृपांक ३
(४) गृह कला	१००	२८	१८			४६				४६	अनुत्तीर्ण ✗
(५) अंग्रेजी	१००	२६	१८			४४				४४	पूरक परीक्षा का अधिकारी है ✗
(६)											स्वतः परिनिरीक्षण का अधिकारी है ✗

(सम्पूर्ण प्राप्तांक शब्दों में) दो सौ एक .... (अंकों में) २०१..................

परीक्षाफल के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना

(१) प्रत्येक विषय का न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क ३३ प्रतिशत है। जिन विषयों में लिखित एवं क्रियात्मक परीक्षा के लिये न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क विवरण पत्रिका (Prospectus) में निर्धारित है, उनमें परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिये दोनों में अलग-अलग न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

(२) विशेष योग्यता पाने के लिये किसी विषय के सम्पूर्ण प्राप्तांक योग में ७५ प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

(३) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी होने के लिये सम्पूर्ण योग कम से कम क्रमशः ६०, ४५ एवं ३३ प्रतिशत होना चाहिये।

(४) यदि कोई परीक्षार्थी सम्पूर्ण परीक्षा में सम्मिलित हुआ है तथा केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण है, तो वह पूरक परीक्षा का अधिकारी है।

(५) पूरक परीक्षा के योग्य घोषित होने वाले सभी परीक्षार्थी स्वतः परिनिरीक्षण के अधिकारी नहीं होंगे। केवल वे परीक्षार्थी, जो केवल एक विषय में २८ प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर अनुत्तीर्ण घोषित किये गये हैं, पूरक परीक्षा के अधिकारी होने के साथ ही साथ स्वतः परिनिरीक्षण के अधिकारी भी होंगे। उनकी उत्तर-पुस्तिकाओं का परिनिरीक्षण बिना शुल्क के ही किया जायगा, अतः उन्हें वांछित शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि वे इसके लिये शुल्क जमा कर देंगे तो उसे लौटाया नहीं जायेगा।

(६) जो परीक्षार्थी पूरक परीक्षा के अधिकारी होते हुए भी स्वतः परिनिरीक्षण के अधिकारी नहीं होंगे तथा अनुच्छेद (५) में उल्लिखित परीक्षार्थियों की श्रेणी में नहीं आते, वे यदि चाहें तो शुल्क देकर अपनी उत्तर-पुस्तिकाओं का परिनिरीक्षण करा सकते हैं। इसके लिये वे सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य अथवा केन्द्र-व्यवस्थापक से निर्धारित आवेदन-पत्र लेकर तथा उसकी पूर्ति करके निर्धारित शुल्क के ट्रेजरी चालान सहित परिषद् कार्यालय में भेजें। परिनिरीक्षण आवेदन-पत्र इस कार्यालय में प्राप्त होने की अन्तिम तिथि १५ जुलाई, १९७६ है। उक्त तिथि के पश्चात् ऐसे आवेदन-पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि परिनिरीक्षण के लिये निर्धारित आवेदन-पत्र उपलब्ध न हो सकें, तो सादे कागज पर ही अपना पूरा विवरण देते हुए निर्धारित शुल्क के चालान के साथ प्रार्थना-पत्र अवश्य भेज देना चाहिये जिससे वह निर्धारित तिथि के अन्दर ही इस कार्यालय में प्राप्त हो जाय।

(७) परिनिरीक्षण के फलस्वरूप यदि किसी परीक्षार्थी का परीक्षाफल प्रभावित होता है, तो उसकी सूचना यथासमय सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य अथवा केन्द्र-व्यवस्थापक को प्रेषित की जाती है, जिससे वे तुरन्त सम्बन्धित परीक्षार्थी को परिवर्तन की सूचना दे सकें। शुल्क देकर परिनिरीक्षण कराने वाले परीक्षार्थियों के परीक्षाफल में, यदि कोई परिवर्तन न हुआ तो समस्त उत्तर-पुस्तिकाओं का परिनिरीक्षण ३० नवम्बर, १९७६ के अन्त तक हो जाने के बाद ही इसकी सूचना उन्हें भेजी जायेगी। इस बीच कोई पत्र-व्यवहार इस कार्यालय से न करें, क्योंकि इस सम्बन्ध में उन्हें कोई उत्तर देना सम्भव न हो सकेगा।

(८) परिनिरीक्षण में अधिक समय लगने की सम्भावना है। अतः सम्बन्धित परीक्षार्थी उसके परिणाम के लिये प्रतीक्षा न करें। यदि वे संस्थागत-छात्र के रूप में अध्ययन करना चाहते हैं, तो सम्बन्धित विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर लें, पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने के अधिकारी हैं वे उसमें सम्मिलित हो जायँ और यदि व्यक्तिगत रूप से आगामी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहें तो उसके लिये निर्धारित तिथि तक परीक्षा-केन्द्र पर अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर दें।

(कृपया पृष्ठ उलटिए)